न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 04/2017

बउनवान

जगदीश आयु 42 वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल जाति–धाकड़ निवासी–मण्डोला तहसील–बारां जिला–बारां, राज0 **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री महेश प्रकाश गौत्तम, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक 27.09.2021

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 16.09.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–मण्डोला, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1956 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म सिवायचक गै.मु. खलियान पर अतिक्रमी मानकर 20/–रूपये अर्थदण्ड एंव आराजी से बेदखली कर फसल जप्ती व नीलामी के दंड से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर दंडित किया गया है। अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है विवादित आराजी कागजात राज में गैर मुमकिन खलियान दर्ज है जिस पर किसी प्रकार की काश्त नहीं होती है। अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से कृषि उपज डालता चला आ रहा है इसके अलावा उसका कोई अतिक्रमण नहीं है। पत्रावली पर कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है ना ही मौके पर कब्जे की कोई पुष्टि हुई है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसे अतिक्रमी मानकर सजायाब कर भारी भूल की है। अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.09.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:47:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है विवादित आराजी कागजात राज में गैर मुमकिन खलियान दर्ज है जिस पर किसी प्रकार की काश्त नहीं होती है। अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से कृषि उपज डालता चला आ रहा है इसके अलावा उसका कोई अतिक्रमण नहीं है। पत्रावली पर कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है ना ही मौके पर कब्जे की कोई पुष्टि हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.09.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है परन्तु कोई लिखित जवाब पेश नहीं किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर अतिक्रमी रहा है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहने के बावजूद चाराजोही नहीं की है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर हीं उक्त आदेश पारित किया गया है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 800/16 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:47:25 IST
Reason: SelfAttested